न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– डॉ0 सूरज सिंह नेगी

सिविल प्रकरण संख्याः– 24/2019 तारीख रजू 27.05.2019

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

..........आवेदक

बनाम

1. भागचन्द जैन पुत्र श्री लल्लू लाल जैन निवासी चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर विक्रेता मैसर्स–लक्की किराना स्टोर माताजी रोड चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
2. अशोक कुमार पुत्र श्री भागचन्द जैन निवासी चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर मालिक मैसर्स–लक्की किराना स्टोर माताजी रोड चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
3. प्रकाश चन्द जैन पुत्र श्री प्रेमचन्द जैन निवासी गुरूद्वारा रोड पटवा गली शहर सवाई माधोपुर राजस्थान प्रो0 मेसर्स प्रकाश जनरल स्टोर गुरूद्वारा रोड पटवा गली शहर सवाई माधोपुर
4. श्रेष्ठ अग्रवाल पुत्र श्री उत्तम चन्द अग्रवाल निवासी 4 जवाहर नगर मैन रोड कोटा (डायरेक्टर) मैसर्स बेन्डबेगन्स मल्टीट्रेड प्राईवेट लिमिटेड 4 जवाहर नगर मैन रोड कोटा राजस्थान 324005
5. उत्तम चन्द अग्रवाल निवासी 4 जवाहर नगर मैन रोड कोटा (डायरेक्टर) मैसर्स बेन्डबेगन्स मल्टीट्रेड प्राईवेट लिमिटेड 4 जवाहर नगर मैन रोड कोटा राजस्थान 324005
6. समृद्धि अग्रवाल निवासी 4 जवाहर नगर मैन मार्केट रोड कोटा (डायरेक्टर) मैसर्स बेन्डबेगन्स मल्टीट्रेड प्राईवेट लिमिटेड 4 जवाहर नगर मैन रोड कोटा राजस्थान 324005
7. शैला अग्रवाल निवासी 4 जवाहर नगर मैन रोड कोटा (डायरेक्टर) मैसर्स बेन्डबेगन्स मल्टीट्रेड प्राईवेट लिमिटेड 4 जवाहर नगर मैन रोड कोटा राजस्थान 324005
8. करण मलहोत्रा निवासी ए 795 आर्शिवाद रेजिडेन्सी इन्द्रा विहार कोटा (डायरेक्टर) मैसर्स बेन्डबेगन्स मल्टीट्रेड प्राईवेट लिमिटेड 4 जवाहर नगर मैन रोड कोटा राजस्थान 324005
9. मैसर्स बेन्डबेगन्स मल्टीट्रेड प्राईवेट लिमिटेड 4 जवाहर नगर मैन रोड कोटा राजस्थान 324005
10. राजकुमार वर्मा पुत्र श्री सुन्दर लाल वर्मा प्रो0 मेसर्स कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी बी–2/171 सेक्टर 17 रोहिणी देहली नॉर्थ वेस्ट देहली 110089
11. मैसर्स कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी बी–2/171 सेक्टर 17 रोहिणी देहली नॉर्थ वेस्ट देहली 110089

.... अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)

निर्णयः– **दिनांक** 31/3/23

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेद प्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 07.10.2017 को समय 02.00 पी. एम. पर मैसर्स लक्की किराना स्टोर माताजी रोड चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर पर पहुंचा। वहाँ

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:05:43 IST
Reason: SelfAttested

पर भागचन्द जैन पुत्र श्री लल्लू लाल जैन, निवासी चौथ का बंरवाडा, जिला सवाई माधोपुर उपस्थित मिला। आवेदक ने अभियुक्त को अपना परिचय दिया व परिचय पत्र दिखाया। आवेदक द्वारा विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन/खाद्य अनुज्ञापत्र की प्रति मांगी विक्रेता द्वारा मौके पर खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र की प्रति पेश की। तत्पश्चात विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ **देशी घी (डेयरी ब्राईट)** 500 मिली. के 6 गत्तापैक पैकेट दुकान में रखे मिले, के मानक स्तर का नहीं होने का शक होने पर नमूना वास्ते जॉच हेतु लेने की सूचना फार्म नम्बर 5 ए की एक प्रति गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली गयी। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ **देशी घी (डेयरी ब्राईट)** 500 मिली. के 04 गत्तापैक पैकिट वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय कर राशि 760/– रूपये नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है, उपस्थित गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। विक्रेता ने मौके पर खाद्य पदार्थ **देशी घी (डेयरी ब्राईट)** का खरीद बिल मेसर्स प्रकाश जनरल स्टोर गुरूद्वारा रोड पटवा गली शहर सवाई माधोपुर का पेश किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा खाद्य पदार्थ **देशी घी (डेयरी ब्राईट)** 500 मिली. के 04 गत्तापैक पेकिट मूल ही लेकर आवेदक द्वारा चार लेबल तैयार किये गये जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक–एक लेबल चिपकाकर एवं चारों नमूना भागो को अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेटकर अभिहित अधिकारी सवाईमाधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक **एच–1285** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर तथा धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी कर प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं सीलबंद नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया गया। आवेदक ने मौके पर फर्द तैयार कर विक्रेता भागचन्द जैन पुत्र लल्लू लाल जैन एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुॅचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियॉ तैयार की ओर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया, एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के आउटर कवॅर में सीलबन्द कर सील मोहन कर एवं 2 प्रति फार्म नम्बर 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में पत्र वाहक सलीम वाहन चालक कार्यालय हाजा द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा करवाकर अलग–अलग रसीद प्राप्त की गयी, दो सील बंद नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बंद कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के डी.ओ. (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) सवाईमाधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2017/3613 दिनांक 27.11.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. 770/एफएसएसएल/कोटा/एक्ट/2017/895 दिनांक 10.11.2017 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **देशी घी (डेयरी ब्राईट)** अनसेफ और मिसब्राण्ड पाया गया था जो रेफरल प्रयोगशाला पूणे के जांच सर्टिफिकेट नं. सीएफएल/डीओ–143/18/484/2018 दिनांक 29.05.2018 द्वारा सबस्टेण्डर्ड पाया गया। मैसर्स प्रकाश जनरल स्टोर गुरूद्वारा रोड पटवा गली शहर सवाई माधोपुर को फर्म के खाद्य अनुज्ञापत्र जीएसटी रजिस्ट्रेशन एवं खाद्य पदार्थ **देशी घी (डेयरी ब्राईट)** का खरीद बिल प्रस्तुत करने हेतु लिखने पर उसके द्वारा खाद्य अनुज्ञापत्र एवं खाद्य पदार्थ **देशी घी (डेयरी ब्राईट)** का खरीद बिल मैसर्स बेन्डबेगन्स मल्टीट्रेड प्राईवेट लिमिटेड, 4 जवाहर नगर मैन रोड कोटा का प्रस्तुत किया। मैसर्स बेन्डबेगन्स मल्टीट्रेड

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:05:43 IST
Reason: SelfAttested

प्रा0लि0 4 जवाहर नगर मैन रोड कोटा को फर्म के खाद्य अनुज्ञापत्र जीएसटी रजिस्ट्रेशन एवं फर्म मालिक भागीदार नोमिनी एवं खरीद बिल हेतु पत्र लिखने पर फर्म द्वारा आवश्यक दस्तावेज एवं मैसर्स कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी का खरीद बिल प्रस्तुत किया गया। मैसर्स कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी को फर्म के खाद्य अनुज्ञापत्र जीएसटी रजिस्ट्रेशन एवं फर्म मालिक भागीदार नोमिनी की जानकारी हेतु पत्र लिखने पर कम्पनी द्वारा आवश्यक दस्तावेज व्हाट्सअप द्वारा भिजवाये गये। यह है कि उक्त प्रकरण में अभियुक्त ने सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ **देशी घी (डेयरी ब्राईट)** का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माने योग्य अपराध है। अन्त में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा अभियोग पत्र स्वीकार कर अभियुक्त के विरूद्व अधिकतम शास्ति राशि अधिरोपित करने हेतु निवेदन किया गया।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। समस्त अभियुक्तगण की ओर से अभियुक्त सं0 3 श्री प्रकाश चन्द जैन स्वयं उपस्थित हुये। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्तगण ने सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ **देशी घी (डेयरी ब्राईट)** का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लघंन किया है अतः अभियुक्तगण को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।

अभियुक्तगण ने बहस में तर्क दिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्रार्थी संख्या 1 की फर्म से **देशी घी (डेयरी ब्राईट)** का सेम्पल भरा गया था प्रार्थीगण अच्छी क्वालिटी की सामग्री का ही उत्पादन एवं विक्रय करते है। प्रार्थीगण को नियमों की जानकारी नहीं होने के कारण प्रार्थीगण का सेम्पल सबस्टेण्डर्ड आया है। बहस के अन्त में न्यूनत्तम शास्ति राशि लगाकर प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हूॅ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. 770/एफएसएसएल/कोटा/ एक्ट/2017/895 दिनांक 10.11.2017 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **देशी घी (डेयरी ब्राईट)** अनसेफ और मिसब्राण्ड पाया गया था जो रेफरल प्रयोगशाला पूणे के जांच सर्टिफिकेट नं. सीएफएल/डीओ–143/18/484/2018 दिनांक 29.05.2018 द्वारा सबस्टेण्डर्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii)) पाया गया है। अभियुक्तगण द्वारा भी बहस में जुर्म स्वीकार किया है तथा प्रकरण को न्यूनत्तम शास्ति राशि अधिरोपित कर प्रकरण को निस्तारण करने का निवेदन किया हैं।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:05:43 IST
Reason: SelfAttested

अतः अभियुक्तगण को सबस्टेण्डर्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) प्रकृति के **खाद्य वस्तु देशी घी (डेयरी ब्राईट)** 500 मिली. का विक्रय व निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 51 के अन्तर्गत अभियुक्तगण संख्या 2 लगायत 11 पर संयुक्त रूप से **50,000/–रू0 (अक्षरे पचास हजार रूपये)** की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त संख्या 1 को भिजवाये गये नोटिस की पुस्त पर संबंधित थानाधिकारी द्वारा अभियुक्त संख्या 1 की मृत्यु की सूचना भिजवायी है जिसके आधार पर अभियुक्त संख्या 1 के विरूद्ध कार्यवाही समाप्त की जाती है। तथा शेष अभियुक्तगणों को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 31/3/23 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:05:43 IST
Reason: SelfAttested